कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-50/2017-18/

दिनांक : /11/2017

सेवा में,

अधशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, कच्छा
जनपद- उधम सिंह नगर

विषय : नगर पालिका परिषद, कच्छा का वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे 01 प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 07 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 50/2017-18/ दिनांक : /011/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-2(अ) के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।
2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साई इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

भाग-I

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा के सम्बंध में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून एवं इकाई के पास समुचित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे |

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **4.02 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **41,965**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **13**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **24**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **--**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **44**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **42 दुकानें, 01 कार्यालय भवन एवं सामुदायिक भवन आदि |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, ऊधमसिंह नगर को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	8800807	7966092	49267878	44204587	2815000	5635000	0	13864098	0	5146092
2015-16	13864098	5146092	57020599	57923132	17672155	18502092	0	12961565	0	4316155
2016-17	12961565	4316155	57155396	61325849	15077600	13181465	0	8791112	0	6212290
कुल योग			**163443873**	**163453568**	**35564755**	**37318557**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, ऊधमसिंह नगर का वर्ष 2013-14 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	4163000	4163000	4163000	0
2	राज्य वित्त आयोग	12466523	37652000	50118523	46856443	3262080
3	अवस्थापना विकास निधि	2021092	0	2021092	0	2021092
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.एच.एस.डी.पी.	5000000	0	5000000	0	5000000
6	एन.यू.एल.एम.	0	945000	945000	0	945000
7	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	7610598	7438182	15048780	9510053	5538727
	कुल योग	**27098213**	**50198182**	**77296395**	**60529496**	**16766899**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, ऊधमसिंह नगर का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2815000	2815000	635000	2180000
2	राज्य वित्त आयोग	3262080	37652000	40914080	28040584	12873496
3	अवस्थापना विकास निधि	2021092	0	2021092	0	2021092
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.एच.एस.डी.पी.	5000000	0	5000000	5000000	0
6	एन.यू.एल.एम.	945000	0	945000	0	945000
7	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	5538727	11615878	17154605	16164003	990602
	कुल योग	**16766899**	**52082878**	**68849777**	**49839587**	**19010190**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, ऊधमसिंह नगर का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	2180000	5647000	7827000	7827000	0
2	राज्य वित्त आयोग	12873496	37652000	50525496	41688379	8837117
3	अवस्थापना विकास निधि	2021092	4116155	6137247	2021092	4116155
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	445000	445000	245000	200000
5	आई.एच.एस.डी.पी.	0	7464000	7464000	7464000	0
6	एन.यू.एल.एम.	945000	0	945000	945000	0
7	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	990602	19368599	20359201	16234753	4124448
	कुल योग	**19010190**	**74692754**	**93702944**	**76425224**	**17277720**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, ऊधमसिंह नगर का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	10237000	10237000	5570000	4667000
2	राज्य वित्त आयोग	8837117	37652000	46489117	45361524	1127593
3	अवस्थापना विकास निधि	4116155	3616000	7732155	6642865	1089290
4	स्वच्छ भारत मिशन	200000	1224600	1424600	968600	456000
5	आई.एच.एस.डी.पी.	0	0	0	0	0
6	एन.यू.एल.एम.	0	0	0	0	0
7	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	4124448	19503396	23627844	15964325	7663519
	कुल योग	**17277720**	**72232996**	**89510716**	**74507314**	**15003402**

लेखाओं पर टिप्पणी:-						
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है।						
(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।						

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, ऊधमसिंह नगर का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2815000	2815000	635000	2180000
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	2180000	5647000	7827000	7827000	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	10237000	10237000	5570000	4667000
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	445000	445000	245000	200000
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	200000	1224600	1424600	968600	456000
2014-15	आई.एच.एस.डी.पी.	5000000	0	5000000	5000000	0
2015-16	आई.एच.एस.डी.पी.	0	7464000	7464000	7464000	0
2016-17	आई.एच.एस.डी.पी.	0	0	0	0	0

भाग दो (अ)

प्रस्तरः 1– आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था से अपूर्ण कार्यो के सापेक्ष रू0 118.17 लाख वापस प्राप्त न किया जाना, रू0 200.34 लाख के निर्माण कार्य न कराया जाना तथा निमार्ण कार्यो का अपूर्ण रहना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 88/IV(2)–श0वि0–10–14 (एन0यू0आर0एम0)/10 दिनांक 08 जून 2010 के द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास मिशन के उप मिशन आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत किच्छा मलिन बस्तियों में 159 आवासों के निर्माण हेतु कुल घनराशि रू0 563.28 लाख की डी0पी0आर0 संस्तुत की गयी थी। तत्क्रम में व्यय विभाग, वित मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.03.2010 द्वारा उक्त योजना हेतु कुल देय केन्द्रांश रू0 341.92 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 177.96 लाख केन्द्रांश अवमुक्त किया गया था इस प्रकार केन्द्रांश के रूप में प्राप्त रू0 170.96 लाख तथा इस धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 110.68 लाख की धनराशि सहित कुल रू0 281.64 लाख व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 गंगोत्री भवन, रूड़की (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था बनाया गया था। नगर पालिका परिषद किच्छा द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2010 को कार्यदायी संस्था के साथ रू0 486.19 लाख का एक अनुबन्ध गठित किया गया था जिसके अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य 18 माह अर्थात फरवरी 2012 तक पूर्ण किया जाना था। उपरोक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जाने थेः–

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख रू0 में)
1.	159 आवासो का निर्माण रू0 1,56,044 प्रति आवास की दर से	248.11
2.	सड़क एवं फुटपाथ	23.68
3.	वर्षा जल निकासी	40.43
4.	जल निकासी व्यवस्था	17.87
5.	जल आपूर्ति एव ंवितरण व्यवस्था	78.59
6.	बाहय विधुत कार्य	16.62
7.	जिविकोपार्जन केन्द्र	23.15
8.	मृदा परीक्षण	0.70
9.	भू–भरण	3.14
10.	कर, अनुश्रवण एवं सेन्टेज इत्यादि	110.99
योग		**563.28**

विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को सितम्बर 2010 में रू0 1.00 करोड़ की धनराशि, फरवरी 2011 में रू0 1.00 करोड़ की धनराशि एवं नवम्बर 2011 में रू0 32,68,129 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी इस प्रकार विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को माह नवम्बर 2011 तक कुल रू0 2,32,68,129.00 की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी थी।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि मे निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने तथा अधोमानक निर्माण किये जाने के कारण दिनांक 28.09.2012 कार्यदायी संस्था के विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा माह जनवरी 2012 में कार्य अधूरा छोड़कर चली गयी थी। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य छोड़े जाने तक कुल रू0 1,14,51,000 की लागत से 68 आवासों का अपूर्ण निर्माण कार्य कराया गया था। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं वार्ता के अनुसार कार्यदायी संस्था के पास अवशेष धनराशि रू0 1,18,17,129 (रू0 2,32,68,129–1,14,51,000) वापस प्राप्त किये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही पाये गये। बाद में नगर पालिका परिषद द्वारा आवासों का अवशेष निर्माण कार्य लाभार्थियों को सीधे धनराशि आबंटित करके कराया गया जिसमें से 08 आवासों का निर्माण कार्य सम्प्रेंक्षा तिथि (सितम्बर 2017) तक अपूर्ण था तथा नगर पालिका परिषद द्वारा कार्य स्थल पर स्वीकृत कार्य के अनुसार सड़क एवं फुटपाथ निर्माण (लागत रू0 23.68 लाख), वर्षा जल निकासी (लागत रू0 40.43 लाख), जल निकासी व्यवस्था (लागत रू0 17.87 लाख), जल आपूर्ति एव ंवितरण व्यवस्था (लागत रू0 78.59 लाख), बाहय विधुत कार्य (लागत रू0 16.62 लाख), एवं जिविकोपार्जन केन्द (लागत रू0 23.15 लाख), का निर्माण कार्य नहीं कराया गया था। इस प्रकार स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष कुल रू0 200.34 लाख का निर्माण कार्य नहीं कराया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर नगर पालिका परिषद द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया जिसकी सूचना समय समय पर शासन को प्रेषित की गयी है। कार्यदायी संस्था के विरूद्व दिनांक 28.09.2012 को कोतवाली किच्छा में प्रथत सूचना दर्ज करायी गयी है। अवशेष धनराशि प्राप्त न किये जाने के सम्बन्ध में शासन को सूचित किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य छोड़कर चले जाने के कारण रू0 200.34 लाख के निर्माण कार्य नही कराये जा सके है।

विभाग के उत्तर से स्वतः ही आपत्तियों की पुष्टि होती है।

अतः आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था से अपूर्ण कार्यो के सापेक्ष रू0 118.17 लाख वापस प्राप्त न किया जाना, रू0 200.34 लाख के निर्माण कार्य न कराया जाना तथा निमार्ण कार्यो के अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 1 : इकाई द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों पर कम स्टाम्प शुल्क की वसूली के कारण शासन को `2,02,066/- के राजस्व की हानि |

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवम् इसी अधिनियम की अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाती है ताकि शासकीय आय में वृद्दि हो सके। **नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म.नि.नि./2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ठेकों पर ठेकों की सम्पूर्ण राशि के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए |** इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबन्ध स्टाम्प की धारा (2)(16) के अन्तर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

इकाई द्वारा ठेकों पर दी गई अचल सम्पत्तियों के अनुबन्धों की पत्रावलियों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (सितम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान दिये गये विभिन्न प्रकार के ठेकों पर संलग्नक 'क' के अनुसार `2,02,066/- के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की गई थी |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदारों से अवशेष स्टाम्प शुल्क `2,02,066/- की वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं | इकाई ने आगे बताया कि स्टाम्प शुल्क की उपरोक्त बकाया धनराशि `2,02,066/- को वसूलने के बाद राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा विभिन्न ठेकों पर देय समस्त स्टाम्प शुल्क की वसूली के बाद ही कार्यादेश जारी करने चाहिए थे | इकाई द्वारा अनुबन्ध के समय स्टाम्प शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण शासन को `2,02,066/- के राजस्व की हानि हुई |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक 'क'

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, ऊधमसिंह नगर द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों पर ठेकेदारों से कम वसूली गई स्टाम्प ड्यूटी का विवरण

क्रं.सं.	ठेके का प्रकार	ठेकेदार का नाम	ठेके का स्थान	ठेके की अवधि	ठेके की कुल धनराशि	स्टाम्प ड्यूटी		
						जो वसूल की जानी थी	जो वसूल की गई	अन्तर
1	वाहन पार्किंग	श्री जमील हुसैन खां पुत्र श्री इरशाद हुसैन खां	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.14 से 30.06.14	402330	8047	110	7937
2	वाहन पार्किंग	श्री जमील हुसैन खां पुत्र श्री इरशाद हुसैन खां	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.07.14 से 31.03.15	1270000	25400	100	25300
3	वाहन पार्किंग	श्री अफसर अली पुत्र श्री अनवर अली	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	2011000	40220	100	40120
4	वाहन पार्किंग	श्री छेदालाल पुत्र श्री बुद्धसेन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	2855000	57100	500	56600
5	विज्ञापन	श्री अक्षय बाबा पुत्र श्री प्यारेलाल	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.11.13 से 31.03.14	21000	420	110	310
6	विज्ञापन	श्री अतुलपाल पुत्र श्री सुरेशपाल	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.07.14 से 31.03.15	50000	1000	110	890
7	भैंसा, बकरा स्लाटर हाउस	श्री हाजी करम इलाही पुत्र मौ. यासीन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.13 से 31.03.14	107000	2140	0	2140
8	भैंसा, बकरा स्लाटर हाउस	श्री हाजी करम इलाही पुत्र मौ. यासीन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.14 से 30.06.14	29430	589	100	489
9	भैंसा, बकरा स्लाटर हाउस	श्री हाजी करम इलाही पुत्र मौ. यासीन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.07.14 से 31.03.15	180000	3600	0	3600
10	तहबाजारी	श्रीमती रेखा पत्नी श्री महेश कुमार	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.01.14 से 31.03.14	534000	10680	100	10580

11	तहबाजारी	श्रीमती रेखा पत्नी श्री महेश कुमार	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.14 से 30.06.14	645000	12900	100	12800
12	तहबाजारी	श्री भूपराम पुत्र श्री मूलचन्द्र	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.07.14 से 31.03.15	1980000	39600	100	39500
13	रिक्शा, तांगा लाइसेन्स	श्री राजेश पुत्र स्व. श्री जयलाल	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.13 से 31.03.14	95500	1910	110	1800
				कुल योग	**10180260**	**203606**	**1540**	**202066**

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 2 – ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना एवं रू0 12.25 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

उपरोक्त के अलावा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016** के **बिन्दु 15(1)(ड.)** के अनुसार नगरीय निकाय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुये उपविधियां बनायेगा एवं समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, **बिन्दु 15(1)(यघ)** के अनुसार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बर्साती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कार्मिको को उपलब्ध करायेगा और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, **बिन्दु 15 (1)(यक) एवं (यख)** के अनुसार नगरीय प्राधिकारी प्रारूप IV में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास को दिनांक 30 अप्रैल एवं सचिव, शहरी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मई तक प्रेषित करेगा, **बिन्दु 15 (1)(ठ)** के अनुसार निकाय अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण देगा, **बिन्दु 25** के अनुसार यदि किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केन्द्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी अधिकारी प्रारूप–VI में घटना की रिपोट स्थानीय निकाय को भेजेगा, बिन्दु 15(1)(म एवं य) के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, किच्छा, उधमसिंह नगर (न0पा0प0) के ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1.00 टन अपशिष्ट को 08 वाहनों के माध्यम से घरों से बिना पृथकीकृत किये संग्रहित किया जा रहा था। परिक्षेत्र में कोई भी सामुदायिक बिन नहीं रखा गया था। उपयोग में लाये जा रहे वाहन खुले थे। न0पा0प0 द्वारा ठोस

अपशिष्ट की प्रक्रिया एवं भू–भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया था। न0पा0प0 द्वारा नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष प्रेषित नहीं की जा रही थी। न0पा0प0 परिक्षेत्र में कोई भी कमपोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण नहीं उपलब्ध था जिसके कारण संग्रहित अपशिष्ट को बिना किसी प्रक्रिया के बस्ती से 100 मीटर दूर गौला नदी के तट पर डाला जा रहा था तथा भौतिक सत्यापन के दौरान ट्रेंचिंग ग्राउण्ड से रिसने वाला Leachate गौला नदी में बहता हुआ पाया गया तथा यह भी पाया गया कि वर्षाकाल के दौरान नदी तट पर पड़ा हुआ कूड़ा नदी में बहेगा जैसा की निम्नलिखित फोटोग्राफ में प्रदर्शित है।

उपरोक्त के अलावा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड परिक्षेत्र का वायु, भूगर्भीय जल एवं लीचेट (Leachate) की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में पालिका परिक्षेत्र में होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं था। उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के प्राधिकार में कप्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। न0पा0प0 द्वारा कोई उपविधि नहीं बनायी गयी थी, कार्मिको को बहुत ही अल्प मात्रा में सुरक्षात्मक उपकरण वितरित किये गये थे। अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। न0पा0प0 द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वच्छ भारत के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 12.25 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।
उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के पास बिन, वाहन एवं उपकरण में आवश्यक्ता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियां पायी गयी।

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		**आवश्यक्ता**	**उपलब्धता**	**कमी**
वाहन	टैम्पो	16	04	12
	कम्पैक्टर	04	00	04
उपकरण (रोड स्वीपर, हाथ ठेली एवं फावड़ा पंजी)		282	155	127

इस प्रकार न0पा0प0 द्वारा पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था।
सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि निकाय के पास उपलब्ध वाहन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है, वैज्ञानिक भूमि भरण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण अपशिष्ट का पृथकीकरण नही किया जा रहा है, नियमों के अनुसार उपविधियां भविष्य में बनायी जायेगी, भविष्य में आवश्यक सुरक्षा उपकरण क्रय करके सफाई कर्मचारियों को वितरित किया जायेगा। भविष्य में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषित की जायेगी, बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्मिकों को प्रशिक्षण नही दिया गया, भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण की स्थापना सम्भव नहीं है, वार्षिक रिपोर्ट वर्तमान में नही भेजी जा रही है, भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा। वन विभाग से ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु भूमि आबंटन के लिये प्रयास

किया जा रहा है, भूमि आबंटित होने पर वहां कूड़ा एकत्रित किया जायेगा। कम्पोस्ट प्लाण्ट एवं वैज्ञानिक भू–भरण की स्थापना के पश्चात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा 2016–17 में स्वच्छ भारत के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 12.25 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

अतः ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किये जाने एवं रू0 12.25 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब-2

प्रस्तर 3: राज्य वत्त नि धअंतर्गत संपादित 137 निर्माण कार्यो में उत्तराखंड अ धप्राप्तिनियमावली-2008 एवं हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रावधानों का पालन न कया जाना।

उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली- 2008 के नियम 13 (1) के अनुसार 25 लाख अथवा उससे अ धक की सामग्री की अ धप्राप्ति हेतु कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रिय समाचार पत्रों में वज्ञापन द्वारा नि वदा आमंत्रित की जानी चाहिए । 25 लाख से कम कीमत की सामग्री की अ धप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्रों और वशेस मामले मे व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में वज्ञापन के माध्यम से की जाए। नियम 13 (5) के अनुसार समान्यतः नि वदा प्रस्तुत करने के लए न्यूनतम समय नि वदा प्रकाशन की ति थ से अथवा नि वदा दस्तावेजो की बिक्री के लए उपलब्ध होने की ति थ से तीन सप्ताह दिया जाना चाहिये।

नियम 21 (1) मे प्रावधानित है क सं वदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लए सफल नि वदा दाता जिसके पक्ष में नि वदा स्वीकृत की गयी हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) ली जाएगी, कार्यपूर्ति धरोहर प्रत्येक सफल नि वदा दाता से उनके पंजीकरण आदि पर ध्यान दिये बगैर ली जाएगी। अनुबंध मे निहित धनरा श के मूल्य को दृस्टिगत रखते हुए सं वदा के मूल्य की 5 से 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

नियम 28 मे प्रावधानित है क प्रत्येक वभाग द्वारा आने वाले 5 वर्षों मे की जाने वाले व भन्न प्रकृति के कार्यों हेतु कार्य योजना बनाई जाए जिसमे प्रतिवर्ष पुनरीक्षण की व्यवस्था की जाए ता क यदि कोई संशोधन अपे क्षत हो, तो कया जा सके तथा इस संबंध मे उत्तर प्रदेश नगर पा लका अ धनियम, 2016 (उत्तराखंड राज्य मे भी यथा प्रवृत्त) की धारा 127-ख (1) में भी प्रावधानित है क प्रत्येक नगरपा लका का अ धशासी अ धकारी नियमो द्वारा वहित रीति से नगर पा लका क्षेत्र के लए प्रत्येक वर्ष एक वकास योजना तैयार करेगा।

नियम 47 (1) में प्रावधानित है क सं वदा के सापेक्ष कए गए अ धकतर निर्माण कार्यों का भुगतान माप पुस्तिका में अं कत माप के अनुसार कया जाए। देयक ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित कया जाए तथा माप पुस्तिका एवं देयकों का परीक्षण सहायक अ भयंता/अ धशासी अ भयंता द्वारा कया जाए।

इकाई की लेखापरीक्षा (सतम्बर-2017) में चयनित कार्यों के अभलेखो क जांच मे देखा गया क वत्तीय वर्षो 2012-13 से 2016-17 के मध्य संपादित निर्माण कार्यो मे अधप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कया गया था, राज्य वत्त निध से संपादित एवं चयनित कार्यों का ववरण निम्नलखत है:

क्रमांक	वत्तीय वर्ष	प्रकाशत निवदा की तिथ	कुल कार्यो की संख्या	कुल लागत (रूपये मे)
1	2012-13	पत्रांक 761/राज्य वत्त निवदा /2012-13	28	1,38,92,682
2	2013-14	पत्रांक 1725/ राज्य वत्त निवदा /2013 -14	23	1,62,00,900
3	2014-15	पत्रांक 2717/ राज्य वत्त निवदा /2014-15	24	2,07,19,407
4	2015-16	पत्रांक 214 / राज्य वत्त निवदा /2015 -16	37	1,52,54,000
5	2016-17	पत्रांक 344 / राज्य वत्त निवदा /2016 -17	25	1,10,29,400
		योग	137	7,70,96,389

कार्यो के निष्पादन हेतु हस्ताक्षरित अनुबंध मे प्रावधानित था क(बिन्दु 5) प्रथम पक्ष कार्य शुरू करने से पहले अवर अभयंता को कार्य मे प्रयुक्त होने वाले सामग्री का निरीक्षण कराएगा; (बिन्दु 8) कार्य की अवध 6 माह की होगी अगर उपरोक्त समय मे कार्य पूर्ण न कया गया तो रुपये 1/- प्रतिदिन की दर से दंड प्रथम पक्ष को उस समय तक देनी होगी जिस समय तक कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण न हो जाए; (बिन्दु 13) प्रथम पक्ष उस कार्य को पी डब्लू डी प्रतिसपकारण के अनुसार करेगा।

अभलेखो की जांच मे देखा गया क उत्तराखंड अधप्राप्ति नियमावली के अनुपालन निम्न रूप में नहीं कए गए थे :

- कार्यों के निष्पादन मे उत्तराखंड अधप्राप्ति नियमावली के नियम 13 (5) के अनुसार निवदा प्रस्तुत करने हेतु तीन सप्ताह के बजाय दो सप्ताह का समय ही प्रदान कया गया

था, जिससे उच्च प्रतियोगी दरों के प्राप्त न होने की संभावना से इंकार नहीं कया जा सकता है।

- कार्यो के वरुद्ध प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जांच रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न नहीं थी। जब क गठित अनुबंध के अनुसार सामग्री की जांच कया जाना अपे क्षत था।
- कार्यो के वलंब से सम्पादन की दशा मे ठेकेदार के वरुद्ध कोई भी दंड आरो पत नहीं कया गया था।
- कार्य के आवंटन पर ठेकेदार से मात्र दो प्रतिशत रा श ही धरोहर के रूप मे ली गयी थी, शेष 08 प्रतिशत धरोहर रा श कार्य के सम्पादन के दौरान रनिंग बिलों से काटी गयी थी, जो क उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियम के वरुद्ध था।
- कार्य स्थल के फोटोग्राफ पत्रावली मे उपलब्ध नहीं थे, जो क कार्य के सफल सम्पादन की पुष्टि हेतु लगाए जाने अपे क्षत थे।
- कार्यो के वरुद्ध लागत मे वृद् ध नियमानुसार 10 प्रतिशत से अ धक थी इससे स्पष्ट था क नि वदा सूचना के अनुपालन मे ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण / परीक्षण नहीं कया गया था, तथा गठित आगणन कार्य स्थल के उ चत सर्वेक्षण के बिना तैयार कए गए थे।
- कार्य के वरुद्ध लए गए माप संबन्धित उच्च अ धकारी द्वारा सत्या पत नहीं कए गए थे।

इस प्रकार राज्य वत्त अंतर्गत इकाई को आवंटित रा श से रुपये 770.96 लाख की लागत से संपादित कराये गए 137 निर्माण कार्यों मे उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों, नि वदा सूचना की अपेक्षाओं/ शर्तो तथा गठित अनुबंध की शर्तो के अनुपालन का अभाव था जिसके कारण कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण प्रभावी सम्पादन न कए जाने की संभावना से इंकार नहीं कया जा सकता। संपादित कार्यो की तृतीय पक्ष द्वारा कोई निरीक्षण/ सत्यापन कराये जाने संबंधी प्रतिवेदन अ भलेखो मे उपलब्ध नहीं थे तथा ठेकेदारों से नियमानुसार कार्य के आवंटन के समय ही धरोहर रा श का जमा न कराया जाना प्रत्यक्ष रूप से इकाई के हितो के वरुद था।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II-'ब '</u>

प्रस्तर 4 : इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `70,209/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद, किच्छा, जनपद-ऊधमसिंह नगर के चयनित निर्माण कार्यों के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (सितम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान संलग्नक के अनुसार **15** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`70,20,746/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`70,209/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | इकाई ने आगे बताया कि संबन्धित ठेकेदारों से लेबर सेस की धनराशि `**70,209/-** की वसूली करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पालिका परिषद किच्छा, ऊधमसिंह नगर के नमूना माहों के दौरान चयनित निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2013-14 से 2016-17 तक)						
क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष बिल के भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की कटौती		
				जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	2016-17	वार्ड नं. 03 में भुवन जोशी के मकान से रौतेला जी के मकान की ओर सी.सी.टाइल्स रोड व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	434959	4350	0	4350
2	2016-17	वार्ड नं. 03 में रौतेला के मकान से मेहरा जी के मकान की ओर सी.सी.टाइल्स रोड व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	548754	5488	0	5488
3	2016-17	वार्ड नं. 10 में रामवृक्ष के मकान से बाधू राम के घर की ओर सी.सी.टाइल्स रोड व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	502850	5029	0	5029
4	2016-17	वार्ड नं. 10 में मुकेश के घर से एस.पी.सिंह के घर की ओर सी.सी.टाइल्स रोड व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	562365	5624	0	5624
5	2016-17	वार्ड नं. 03 में रवि कुमार के घर से सुखवन्त सिंह के घर की ओर सी.सी.टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	320787	3208	0	3208
6	2016-17	वार्ड नं. 01 में ट्रक यूनियन गली में सी.सी. रोड व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	126623	1266	0	1266
7	2016-17	वार्ड नं. 12 में शिव मन्दिर परिसर में सी.सी.टाइल्स व सन्त कबीर दास मन्दिर में सौंदर्यीकरण कार्य	231483	2315	0	2315
8	2016-17	वार्ड नं. 04 में संजय जिंदल के घर से आगरा चाट भण्डार की ओर सी.सी.टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	300930	3009	0	3009

9	2016-17	वार्ड नं. 03 में गुरुद्वारे के पास सी.सी.टाइल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य	494861	4949	0	4949
10	2016-17	वार्ड नं. 03 व 05 के बार्डर में श्री जोशी जी के मकान से जगमोहन के मकान की ओर सी.सी.टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	1038330	10383	0	10383
11	2016-17	वार्ड नं. 11 में रामभरोसे लाल के घर से गेंदन लाल के घर तक सी.सी.टाइल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य	177333	1773	0	1773
12	2016-17	वार्ड नं. 05 में प्रीतम दास के मकान से रामस्वरूप के मकान तक ओर सी.सी.टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	321410	3214	0	3214
13	2016-17	वार्ड नं. 03 में सरस्वती शिशु मन्दिर के प्रांगण में सी.सी. टाइल्स फर्श का निर्माण कार्य	1041609	10416	0	10416
14	2016-17	वार्ड नं. 05 में फुटेला के घर से धर्मपाल के घर की ओर ओर सी.सी. रोड निर्माण	483089	4831	0	4831
15	2016-17	वार्ड नं. 03 में शैलेंद्र तिवारी के घर से मदान के मकान की ओर सी.सी.टाइल्स रोड व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	435363	4354	0	4354
कुल योग			**7020746**	**70209**	**0**	**70209**

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 5: नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का अनिय मत क्रयान्वयन।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शक्षण संस्थाओं में समस्त नईभर्तियों पर 01अक्टूबर, 2005से नयी परिभा षत अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10प्रतिशत केसमतुल्य धनरा श का अंशदान कया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शक्षण संस्थाद्वारा कया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक: 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट कया गया था क जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के वषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक कसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भ वष्य नि ध पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुर क्षत निवेश कया जाय ता क जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो, ब्याज सहित ऐसी धनरा श प्रत्येक कर्मचारी के ववरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर पा लका परिषद कच्छा, जनपद - ऊधम संह नगर के अ धकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अ भलेखों की जांच में पाया गया क नगर पा लका के 25 कर्मचारी नई अंशदान पेंशन योजना (जुलाई 2017 तक) से आच्छादित थे। इन सभी कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को अल्मोड़ा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक, कच्छा में संबन्धित कर्मचारियों के सामान्य बचत खातों में जमा कया जा रहा था।बैंक द्वारा पाँच कर्मचारियों के अलावा न तो प्रत्येक कर्मचारी के खाते हेतु बैंक पास-बुक निर्गत की गयी थी, और न ही खाता-वार मा सक/वा षक ववर णका निर्गत की जा रही थी। जिसके कारण इकाई द्वारा कर्मचारियों के अंशदान की कटौतियों को कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा की जा रही धनरा श से मलान नहीं कया जा रहा था। इसके अतिरिक्त नगर पा लका द्वारा भी कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की कटौतियों का कोई व्यक्तिगत पास-बुक/लेजर का रख-रखाव नहीं कया जा रहा था। आगे जांच में यह भी पाया गया, क कर्मचारियों द्वारा उक्त खाते से धनरा श का आहरण भी कया गया था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया गया क शासनादेशों की जानकारी न होने के कारण कया जा रहा था, भ वष्य में अनुपालन कया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क शासन द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित शासनादेश, 2005 में ही निर्गत कर दिये गए थे तदोपरांत भी उ चत क्रयान्वयन न कया जाना वभागीय श थलता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 6 : सेवा पुस्तिकाओं व अवकाश लेखों का अनिय मत रख-रखाव।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)/2011 दिनांक 08/03/2011 के संलग्नक-2 के अनुसार छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पुनरी क्षत वेतन संरचना में लागू ए. सी. पी. के अंतर्गत अनुमन्य वत्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्र क्रया को व र्णत कया गया है।

कार्यालय नगर पा लका परिषद, कच्छा, जनपद ऊधम संह नगर के अ धकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया क सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में उनके पारिवारिक ववरण, जी.पी.एफ़. नामांकन, डी.सी.आर.जी. नामांकन, पारिवारिक पेंशन नामांकन, कर्मचारी सामूहिक बीमा नामांकन आदि प्रपत्रों को अधतन/संलग्न नहीं कया जा रहा था। सेवा पुस्तिकाओं में सक्षम अ धकारी द्वारा कर्मचारियों की सेवाओं का वा र्षक सत्यापन एवं वा र्षक वेतन वृद् ध की प्र वष्टियों का सत्यापन नहीं कया जा रहा था। सेवा पुस्तिकाओं में अवकाश लेखों को लंबे समय से अध्यतन नहीं कया गया था। जांच की गयी सेवा पुस्तिकाओं में छठवें वेतनमान लागू होने पर कए गए / ए.सी.पी. के अंतर्गत अनुमन्य वत्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण कये गए थे एवं निर्धारण संबंधी कोई भी आदेश सेवा पुस्तिकाओं में चस्पा नहीं कए गए थे (जांच की गयी सेवा पुस्तिकाओं का ववरण संलग्नक क पर है)। उपरोक्त के अतिरिक्त 16 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ भी नहीं बनायी गयी थी (संलग्नक ख)।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये उक्त आप त्तयों का निराकरण कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कए जाने का आश्वासन दिया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क सेवा पुस्तिकाएँ एक महत्वपूर्ण अ भलेख है जिसका निय मत रख-रखाव आवश्यक रूप से कया जाना चाहिए।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक क

नगर पा लका परिषद कच्छा,ऊधम संह नगर के अ धकारी/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच

क्रमांक	नाम (सर्वश्री/श्रीमति)	पदनाम	आप त्त				
			प्रपत्र	अवकाश लेखे	सेवा सत्यापन	उँग लयों व अँगूठों के निशानो का सत्यापन	वेतन निर्धारण संबंधी
1.	मथुरा प्रसाद	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे	नहीं की गई थी।	सत्यापन नहीं कया गया था।	01/01/09 के बाद वेतन निर्धारण की प्र वष्टि नहीं की गयी थी।
2.	मरियम	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे	नहीं की गई थी।	सेवा पुस्तिका में निशान नहीं लए गए थे।	01/01/09 के बाद वेतन निर्धारण की प्र वष्टि नहीं की गयी थी।
3.	सोमवती	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	सत्यापन नहीं कया गया था।	10 वर्ष की सेवा पर 01/02/11 को प्रदत्त प्रथम वत्तीय स्तरोन्नयन पर वेतन वृद् ध नहीं दी गयी थी।
4.	कल्लू	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	सत्यापन नहीं कया गया था।	ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।
5.	अनोखे	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	सत्यापन नहीं कया गया था।	ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।
6.	साउल	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	सत्यापन नहीं कया गया था।	ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की

							गयी थी।
7.	महबूब	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/12/09 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	सत्यापन नहीं कया गया था।	ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।
8.	जुमेल	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	सत्यापन नहीं कया गया था।	ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।
9.	पप्पू लाल	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	--	ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।
10.	ल लत पाल	पर्यावरण मत्र	सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के नाम के अलावा कोई भी प्र वष्टि नहीं की गयी थी।				
11.	धीरज	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	-----	01/01/06 को वा षक वेतन वृद् ध एवं 10 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य प्रथम वत्तीय स्तरोन्नयन प्रदत्त नहीं कया गया था।
12.	राम प्रसाद	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	----	---
13.	श्याम बाबू -II	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	आति थ तक कोई प्र वष्टि नहीं की गयी थी।	नहीं की गई थी।	सत्यापन नहीं कया गया था।	01/01/09 के बाद वेतन निर्धारण की प्र वष्टि नहीं की गयी थी।
14.	प्रेम पाल	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	----	05/09/10 को प्रदत्त प्रथम वत्तीय स्तरोन्नयन पर वेतन वृद् ध नहीं

							दी गयी थी एवं तदनुसार ही आगामी वा र्षक वृद् धयाँ प्रदान की गयी थी।
15.	मैइ कल	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	--	01/01/06 को छठे वेतनमान लागू होने के उपरांत वेतन निर्धारण त्रुटि पूर्ण था एवं तदनुसार ही ही आगामी वा र्षक वृद् धयाँ प्रदान की गयी थी।
16.	श्याम बाबू	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	----	01/01/06 को छठे वेतनमान लागू होने के उपरांत वेतन निर्धारण त्रुटि पूर्ण था एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।
17.	कशोर कुमार	पर्यावरण मत्र	सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के वैयक्तिक ववरण के अलावा कोई भी प्र वष्टि नहीं की गयी थी।				
18.	राजू	पर्यावरण मत्र	संलग्न नहीं थे।	त्रुटिपूर्ण अंकन एवं 30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	सत्यापन नहीं कया गया था।	01/01/09 के बाद वेतन निर्धारण की प्र वष्टि नहीं की गयी थी।
19.	महेश चंद शर्मा	ल पक	संलग्न नहीं थे।	31/12/08 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	---	ए॰सी॰पी॰ पर त्रुटिपूर्ण निर्धारण एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।

20.	श्री मो॰ ताहिर म लक	ल पक	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	----	ए॰सी॰पी॰ पर त्रुटिपूर्ण निर्धारण एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।
21.	आनंद संह नेगी	परिचारक	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	----	ए॰सी॰पी॰ पर त्रुटिपूर्ण निर्धारण एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।
22.	अब्दुल सईद	परिचारक	संलग्न नहीं थे।	31/12/08 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	----	ए॰सी॰पी॰ पर त्रुटिपूर्ण निर्धारण एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।
23.	दर्शनाथ	परिचारक	संलग्न नहीं थे।	30/06/10 के बाद अधतन नहीं थे।	नहीं की गई थी।	----	ए॰सी॰पी॰ पर त्रुटिपूर्ण निर्धारण एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत की प्र वष्टियां नहीं की गयी थी।

संलग्नक ख

नगर पा लका परिषद कच्छा,ऊधम संह नगर के सेवा पुस्तिकाएं नहीं बनाए गए कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	श्री सुनिल बिष्ट	ल पक
2.	श्रीमति राममूर्ति	पर्यावरण मत्र
3.	श्री बाबू राम	पर्यावरण मत्र
4.	श्री मल्लू	पर्यावरण मत्र
5.	श्री नीरज	पर्यावरण मत्र
6.	श्री सालोमन	पर्यावरण मत्र
7.	श्री कैलाश	पर्यावरण मत्र
8.	श्री नरेश प्रथम	पर्यावरण मत्र
9.	श्री नत्थूलाल	पर्यावरण मत्र
10.	श्री श्यामाचरन	पर्यावरण मत्र
11.	श्री राजू	पर्यावरण मत्र
12.	श्री राजेश	पर्यावरण मत्र
13.	श्री राकेश	पर्यावरण मत्र
14.	श्री लैमुयल दास	पर्यावरण मत्र
15.	श्री चन्द्र पाल	पर्यावरण मत्र
16.	श्री वक्टर	पर्यावरण मत्र

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 7 – रू0 25.47 लाख मूल्य के क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 13 (1) के अनुसार रू0 पच्चीस लाख एवं उससे अधिक अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाये। नियम 13 (2) के अनुसार निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाये तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एन0आई0सी0) की वेबसाईट से भी सम्बद्व होनी चाहिये।

नगर पालिका परिषद, किच्छा (न0पा0प0) की क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 द्वारा जून 2015 में रू0 25.47 लाख मूल्य का एक बैकहो लोडर क्रय किया गया एवं इस क्रय मे अपनायी गयी निविदा प्रक्रिया में केवल एक समाचार पत्र दैनिक जागरण में निविदा हेतु विज्ञापन किया गया तथा राज्य सरकार/विभाग की वेबसाइट पर इस निविदा हेतु कोई सूचना प्रदर्शित नही की गयी।

इस प्रकार कार्यालय द्वारा रू0 25.47 लाख मूल्य के एक बैकहो लोडर के क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर नगर पालिका परिषद द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

उत्तर से स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः रू0 25.47 लाख मूल्य के क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, जनपद-ऊधमसिंह नगर** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2013-14** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **09 सितम्बर 2017** से **18 सितम्बर 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
इकाई के पास समुचित विवरण उपलब्ध नहीं था			

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			इकाई के पास विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का समुचित विवरण उपलब्ध न होने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका		

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

-सामान्य-

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, जनपद-ऊधमसिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्रीमती राजू नबियाल	अधिशासी अधिकारी	27.07.12 से 06.08.15 तक
02.	श्रीमती प्रतिभा कोहली	अधिशासी अधिकारी	07.08.15 से 27.07.17 तक
03.	श्री संजीव मेहरोत्रा	अधिशासी अधिकारी	08.07.17 से वर्तमान तक
04.	श्री महेन्द्र चावला	अध्यक्ष	04 05.2013.से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा, जनपद- ऊधमसिंह नगर** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/25 दिनांकित 21.09.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय